उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

संख्या-9/2024-वे0आ0-1-646/दस-2024-6(एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2024

इस अनुभाग के पत्र संख्या-2/2024-वे0आ0-1-251/दस-2024-6(एम)/2016, दिनांक 15 मार्च, 2024 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/5/2024-ई.II(बी), दिनांक 21.10.2024 **(हिन्दी प्रति)** की प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही हैं कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय :--

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2024-वे0आ0-1-646(1)/दस-2024, तददिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-2, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3. प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
पुष्पराज
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेव साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं. 1/5/2024-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
******

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 21 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन - 01.07.2024 से प्रभावी।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 12 मार्च, 2024 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2024-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता **01 जुलाई, 2024 से मूल वेतन के 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा।**

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मदं में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अ. साहु

(अभिमन्यु साहु)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।